

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/x-01 part-01363/2024/118

दिनांक:- 12/3/2024

--: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 436 दिनांक 28.04.2020, 437 दिनांक 28.04.2020, एवं 393 दिनांक 01.03.2021, एवं अ विभिन्न आदेशों के द्वारा निम्न अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कार्मिकों द्वारा वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022, के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक ए 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्मिका का नाम व पद (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षाकाल पूर करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	द्वारिका मीणा म.स्वा.कार्य.	टोंक	10.08.1978	17.03.2021		16.03.2023	17.03.2023
02	पिंकी कुमारी म.स्वा.कार्य.	डीडवाना कुचामन	10.01.1992	10.08.2020	29.04.2020	28.04.2022	29.04.2022

नोट:- उक्त कार्मिकाओं के द्वारा यदि परिवीक्षाकाल में एक माह से अधिक असाधारण अवकाश का उपभोग किया गया है, तो वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में नियमानुसार परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 12/3/2024

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/स्था0/जोन-अजमेर/x-01 part-01363/2024/118

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
- सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजस्थान।
- संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
5787119

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर
Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :12-03-2024 01:16:00